1/6

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० – पी0पी0एम0–24/2016 4957 /कृ0, पटना दिनांक 19-12- 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजनान्तर्गत बीज ग्राम योजना एवं बीज ग्राम के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन की योजना वर्ष 2017–18 हेतु कुल 3557.56 लाख (पैतीस करोड़ संतावन लाख छप्पन हजार) रू0 (केन्द्रांश मद में 2460.56 लाख रू0 एवं राज्यांश मद में 1097.00 लाख रू0) की योजना के कार्यान्वयन एंव व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजनान्तर्गत बीज ग्राम योजना एवं बीज ग्राम के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन की योजना वर्ष 2017–18 हेतु कुल 3557.56 लाख (पैतीस करोड़ संतावन लाख छप्पन हजार) रू0 (केन्द्रांश मद में 2460.56 लाख रू0 एवं राज्यांश मद में 1097.00 लाख रू0) की योजना के कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–10–8/2011-SD VI दिनांक 27.04.2017 द्वारा 179.90542 लाख रूपये, दिनांक 30.06.2017 द्वारा 119.61458 लाख रूपये, 23.058 लाख रूपये एवं 1.44 लाख रूपये कुल 324.018 लाख रूपये की विमुक्ति की गयी है।

3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–10–8/2011-SD VI दिनांक 04.08.2017 द्वारा योजना अंतर्गत 1300.00 लाख रूपये का उद्व्यय निर्धारित किया गया है साथ ही 274.3926 लाख रूपये, 815.07 लाख रूपये एवं 71.10 लाख रूपये को वर्ष 2017–18 के लिए पुनर्वैधिकृत किया गया है।

4. योजना हेतु कुल स्वीकृत राशि 3557.56 लाख रूपये में से प्रमाणित बीज उत्पादन वर्ष 2016–17 की अव्यवहृत राशि 118.50 लाख रूपये (केन्द्रांश 71.10 लाख रूपये एवं राज्यांश 47.40 लाख रूपये) की पूर्व में ही निकासी की जा चुकी है। अतएव 3439.06 लाख रूपये (केन्द्रांश 2389.46 लाख रूपये एवं राज्यांश 1049.60 लाख रूपये) की ही निकासी की जायेगी।

5. योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए स्वीकृत कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है:–

A. बीज ग्राम योजना

(राशि लाख रूपये में)

फसल	बीज ग्राम की संख्या	किसान की सं0	बीज की मात्रा (क्वीं0 में)	स्वीकृत मूल्य दर(रू0/क्वीं0)	स्वीकृत अनुदान राशि (रू0/ क्वीं0)	बीज अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7
1. खरीफ 2017						
धान	1365	136500	16380	3400	1700	278.46
अरहर	235	23300	1880	10000	6000	112.80
किसान प्रशिक्षण	1067 प्रशिक्षण समूह @15000 रू0/समूह					160.05
						551.31
2. रबी 2017–18						
गेहूँ	1046	104600	41840	3400	1700	711.28
चना	37	3700	1184	10000	6000	71.04
मसूर	77	7700	1232	10000	6000	73.92
मटर	20	1000	320	10000	6000	19.20
राई/ सरसो	77	3850	77	9000	5400	4.16

E:\ABHINAV\2017-18\Seed & planting Material\2017-18 Submision on Seed and planting material.docx

किसान प्रशिक्षण	803 प्रशिक्षण समूह @15000 रू0/समूह					120.40
योग						**1000.00**
3. गरमा 2018						
मूंग	774	77400	6192	10000	6000	371.52
किसान प्रशिक्षण	514 प्रशिक्षण समूह @15000 रू0/समूह					77.17
योग						**448.69**
4. हरी खाद गरमा 2018						
मूंग	503	50300	4024	10000	6000	241.44
ढैंचा	524	52400	4192	4500	2700	113.18
किसान प्रशिक्षण	685 प्रशिक्षण समूह @15000 रू0/समूह					102.70
योग						**457.32**
बीज ग्राम वर्ष 2017–18 कुल राशि (1+2+3+4)						**2457.32**
B. वर्ष 2014–15 बीज ग्राम के उतरदायित्व राशि के भुगतान हेतु रिभेलिडेट राशि (शत प्रतिशत केन्द्रांश मद)						**815.07**
C. प्रमाणित बीज उत्पादन दलहन/तेलहन द्वारा बीज ग्राम वर्ष 2017–18						**166.67**
D. प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु वर्ष 2016–17 के अवशेष राशि (केन्द्रांश मद में 71.10 लाख रू0) को वर्ष 2017–18 में रिभेलिडेट योजनान्तर्गत किया गया है कि राशि						**118.50**
SMSP **योजनान्तर्गत कुल राशि (A+B+C+D)**						**3557.56**
कुल केन्द्रांश मद की राशि						**2460.56**
कुल राज्यांश मद की राशि						**1097.00**

6. सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजनान्तर्गत बीज ग्राम योजना एवं प्रमाणित बीज उत्पादन द्वारा बीज ग्राम एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राशि की सहभागिता है।

7. योजना हेतु चयनित बीज ग्राम के चयनित किसानों को एक एकड़ के लिए धान, अरहर/उड़द, गेहूं, चना, मसूर, मटर एवं राई/सरसो के आधार/प्रमाणित बीज बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। गरमा अन्तर्गत मूंग एवं ढैंचा के बीज ग्राम का कार्यान्वयन मूंग बीज उत्पादन एवं हरी खाद हेतु किया जायेगा। योजना से संबंधित जिलावार, फसलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1, 2, 3 एवं 4 में संलग्न है। प्रमाणित बीज उत्पादन दलहन, तेलहन द्वारा बीज ग्राम वर्ष 2017–18 का कार्य योजना अनुसूची–5 पर संलग्न है।

8. योजनान्तर्गत धान एवं गेहूं के आधार/प्रमाणित बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर तथा चना, मसूर, मटर एवं राई/सरसो के आधार/प्रमाणित बीज 60 प्रतिशत, गरमा अन्तर्गत मूंग एवं ढैंचा के बीज 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा। किसानों को उपलब्ध अधिकतम अनुदान प्रस्तावित कार्यक्रम कंडिका 5 की तालिका के कॉलम 5 में स्वीकृत अनुदान मूल्य दर के अनुसार किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत बीज मूल्य दर से बीज के मूल्य कम होने पर फसल के बीज के वास्तविक राशि का 50 या 60 प्रतिशत अनुदान ही उपलब्ध कराया जायेगा।

9. बीज ग्राम के किसानों को बीज उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का संचालन परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किया जायेगा। एक समूह में 150 किसान को प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक समूह के प्रशिक्षण पर 15000 रू0 व्यय अनुमान्य है।

10. योजनान्तर्गत बीज की उपलब्धता जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा राज्य के लिए चिन्हित सरकारी बीज कम्पनी/बिहार राज्य बीज निगम से सुनिश्चित किया जायेगा।

11. बीज ग्राम योजना वर्ष 2014–15 के उतरदायित्व मद की राशि 815.07 लाख रूपये का भुगतान बिहार राज्य बीज निगम को बीज मद में किया जाना है। निगम से प्राप्त विवरणी (अनुसूची–6) के अनुसार राशि संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर बिहार राज्य बीज निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनान्तर्गत जिले के लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृत राशि अनुसूची–7 अनुरूप जिला कृषि पदाधिकारी को आवंटित की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी आवंटित राशि की निकासी कर अनुदान राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किसानों को करेगें।

13. प्रमाणित बीज उत्पादन दलहन, तेलहन द्वारा बीज ग्राम योजना वर्ष 2017–18 का कार्यान्वयन बिहार राज्य बीज निगम द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। इस हेतु आवंटन कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा कर राशि निगम के पी0एल0 खाता सं0– 271 में जमा किया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य बीज निगम के पी0एल0ए0 खाता संख्या–271 में 118.50 लाख रूपये उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त राशि से योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2016–17 में नहीं हो सका था। उक्त अव्यवहृत अवशेष राशि 118.50 लाख रूपये से प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2017–18 में किया जायेगा।

15. योजना का क्रियान्वयन कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

16. वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि, स्वीकृत केन्द्रांश एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की निकासी की जाने वाली राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:– (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–103– बीज, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0218–सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, पी0एफ0एम0एस0 कोड–3031, विपत्र कोड–01–2401001030218, विषयशीर्ष–0218.33.01–सब्सिडी	2778.75	1983.25
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01,उपशीर्ष–0249– सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, पी0एफ0एम0एस0 कोड–3031, विपत्र कोड– 01–2401007890249, विषयशीर्ष–0249.33.01–सब्सिडी	535.66	382.32
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0271–सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, पी0एफ0एम0एस0 कोड–3031, विपत्र कोड–01–2401007960271, विषयशीर्ष–0271.33.01–सब्सिडी	33.48	23.89
योग	**3347.89**	**2389.46**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–103– बीज, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0318–सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, पी0एफ0एम0एस0 कोड–3031, विपत्र कोड–01–2401001030318, विषयशीर्ष–0318.33.01–सब्सिडी	1352.14	871.17
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0349– सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, पी0एफ0एम0एस0 कोड–3031, विपत्र कोड– 01–2401007890349, विषयशीर्ष–0349.33.01–सब्सिडी	260.65	167.94
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0371–सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, पी0एफ0एम0एस0 कोड–3031, विपत्र कोड–01–2401007960371, विषयशीर्ष–0371.33.01–सब्सिडी	16.29	10.49
योग	**1629.08**	**1049.60**
सकल योग	**4976.97**	**3439.06**

17. वित्त विभाग का संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–24/2016 के पृष्ठ संख्या–77/टि0 पर दिनांक 18.09.2017 को प्राप्त है।

18. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–24/2016 के पृष्ठ संख्या–88/टि० पर दिनांक: 06.12.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–24/2016 4957 /कृ0, पटना दिनांक 19-12-2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–24/2016 4957 /कृ0, पटना दिनांक 19-12-2017

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–24/2016 4957 /कृ0, पटना दिनांक 19-12-2017

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक, उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।